

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

सं. (भू. अ.) संख्या 14/81. क. म. ५. (वा. ग. म. नं.) मुज. ०-114/13-2767/२०, दिनांक - ०५-१२-१३

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - चनौली, थाना - कटरा, थाना नं०- 236, परगना - तिरसठ, जिला - मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बागमती वायों तटबंध निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण आपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम - चनौली के भीतर भूमि का एक/कई टुकड़े आपेक्षित है जो मानक माप से कम बेस x बीधा x कट्टा x धूर है जो 15.89 एकड के बराबर है और जिसका प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी निम्न प्रकार हैं :-

अर्जनाधीन भूमि :- अंश सर्वे खेसरा संख्या - 577, 578, 584, 587, 585, 588, 590, 591, 592, 594, 593, 581, 583, 582, 599, 608, 607, 609, 616, 1215, 1214, 1213, 1212, 1210, 1209, 1208, 1207, 1202, 1203, 1204, 1206, 1198, 1199, 1200, 1201, 1190, 1191, 1318, 1184, 1183, 1331, 1332, 1330, 1329, 1338, 1339, 1340, 1343, 1345, 1344, 1155, 1361, 1360, 1362, 1363, 1381, 1387, 1388, 1380, 1379, 1372, 1371, 1369, 1370, 1368, 1395, 1394, 1396, 1398, 1399, 1400, 610, एवं 595 तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या 589, 586, 1211 एवं 1205

चौहद्दी

उत्तर :- सीमा रेखा मौजा तेहवारा, थाना नं०-217 .

दक्षिण :- सीमा रेखा मौजा महेशवारा असली, थाना नं०-241

पूरब :- अंश सर्वे खेसरा संख्या - 508, 590, 591, 592, 594, 593, 581, 599, 607, 609, 1066, 1067, 1215, 1214, 1213, 1212, 1208, 1207, 1206, 1198, 1199, 1200, 1191, 1990, 1318, 1330, 1329, 1345, 1344, 1360, 1381, 1387, 1388, 1394, 1396, 1398, 1399 एवं 1400 तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या - 1216, 1392, एवं 1398

पश्चिम :- अंश सर्वे खेसरा संख्या - 805, 577, 584, 587, 585, 583, 582, 581, 610, 616, 1066, 1067, 1210, 1209, 1202, 1203, 1204, 1201, 1200, 1190, 1184, 1183, 1331, 1332, 1330, 1338, 1339, 1340, 1343, 1155, 1361, 1362, 1363, 1380, 1379, 1372, 1371, 1369, 1370, 1368 एवं 1395 तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या - 611, 1189, 1337 एवं 1373

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों के खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिए जायेंगे।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी गंडक योजना मुजफ्फरपुर के कार्यालय में कार्य दिवस को देखा जा सकेगा।

यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संसोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

प्र० कानूनगी
मुजफ्फरपुर

वि० भू-अ० पदा०
ग० यो०, मुज०

अपर समाहर्ता
मुजफ्फरपुर

समाहर्ता
मुजफ्फरपुर

बिहार राज्यपाल
के आदेश से

हरमाद के अवर सचिव

संख्या - 2767/र०

पटना, दिनांक :- 04-12-13

प्रतिलिपि :- उपसमाहर्ता प्रभारी जिला गजट शाखा मुजफ्फरपुर को जिला गजट के अगले असधारण अंक दिनांक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित 10 अतिरिक्त प्रतियाँ विशेष भू-अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

~~सरकार के अवर सचिव~~

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार पटना को तीन प्रतियों में सी०डी० सहित दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशन की सूचना यथा शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

~~सरकार के अवर सचिव~~

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी गंडक योजना, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक 929
दिनांक- 21-10-13 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारित।

~~सरकार के अवर सचिव~~

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 2210 दिनांक 6.6.13
के क्रम में सूचनार्थ।

~~सरकार के अवर सचिव~~

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक 446 दिनांक 20-5-13 के क्रम में
सूचनार्थ।

अवर सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

02